



सट्टा, शराब के साथ 46,000 की नशीली दवा पर पुलिस की कार्यवाही Afsar Khan

क्राइम एक्सप्रेस

## शहडोल : सट्टा, शराब के साथ 46,000 की नशीली दवा पर पुलिस की कार्यवाही

शहडोल, मध्य प्रदेश: शहडोल जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने कहीं सट्टा तो कहीं कच्ची शराब दबिश में पकड़ी।

Afsar Khan

Aug 16, 2020, 2:40 AM

**शहडोल, मध्य प्रदेश।** पुलिस अधीक्षक द्वारा समाज में फैल रहे मादक पदार्थ एवं नशीली दवाइयों के सेवन को रोकने के लिए जिले में मादक पदार्थों व नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत समस्त थाना प्रभारी को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था। जिसके तारतम्य में 14 अगस्त को थाना देवलौंद क्षेत्रांतर्गत मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैण्ड देवलौंद में कान्हा ट्रांसपोर्ट/किराना दुकान का मालिक रामकिशोर उर्फ मालिक गुप्ता अपने दुकान के सामने ब्यौहारी के जयकुमार उर्फ राजा चतुर्वेदी को नशीली दवाइयां देने के लिये बुलाया है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराया जाकर पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिमा एस0 मैथ्यू के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी ब्यौहारी भविष्य भास्कर के नेतृत्व में थाना प्रभारी देवलौंद द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित की गई।

### घेराबंदी कर पकड़ा :

बाणसागर बस स्टैण्ड कान्हा ट्रांसपोर्ट/किराना दुकान के पास पहुंचकर दबिश दी गई तो किराना दुकान में दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों संदेहियों ने पूछताछ पर अपना नाम रामकिशोर उर्फ मालिक गुप्ता पिता स्व0 रामसजीवन गुप्ता उम्र 51 वर्ष निवासी वार्ड नं. 08 बाणसागर देवलौंद एवं जयकुमार उर्फ राजा चतुर्वेदी पिता संतोष चतुर्वेदी उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 13 ब्यौहारी नगरिया टोला, का रहने वाले बताये एवं किराना दुकान की तलाशी लेने पर चार भरे हुए कागज के कार्टून टेप से चिपके हुए मिले जिन्हें खोलकर चैक करने पर 426 शीशी नशीली कफ सिरप कुल कीमत 46,000 रूपये पाई गई। पुलिस द्वारा उक्त दवाई रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगने पर उक्त व्यक्तियों ने किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना बताये। जिसपर पुलिस ने दोनों आरोपियों के संयुक्त कब्जे से उक्त नशीली दवाइयां ज़ब्त किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/21,22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 म.प्र. औषधी नियंत्रण एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया है। संपूर्ण कार्यवाही थाना प्रभारी देवलौंद निरीक्षक जालम सिंह मरावी के नेतृत्व में सउनि. एहसान खान, सुशील कुमार तिवारी, प्र.आर. अनिल गौतम, प्र.आर. चालक इन्द्रभान पटेल, आर. सुखेन्द्र त्रिपाठी, प्रदीप द्विवेदी, उदय रावत, मनीष कुमार एवं मनोहर ओसारी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

### महुआ शराब जब्त :

थाना अमलाई क्षेत्रांतर्गत चीफ हाउस अमलाई में अवैध शराब बिक्री करने पर पुलिस द्वारा रीता चौधरी पति रजनीश चौधरी निवासी वार्ड नं. 22 चीफहाउस अमलाई, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 06 लीटर हाथ भट्टी की बनी कच्ची महुआ शराब कुल कीमत करीब 600 रूपये मौके पर जप्त की गई।

### यहा भी दबिश :

थाना बुढार क्षेत्रांतर्गत साइटिन टोला अवैध शराब बिक्री करने पर पुलिस द्वारा दबिश देकर रामपाल लोधी पिता मदन लोधी उम्र 43 वर्ष निवासी सैटिनटोला बुढार, के कब्जे से 30 पाव गोवा अंग्रेजी शराब कुल कीमत करीब 3,600 रूपये मौके पर जप्त की गई।

### प्लास्टिक के डिब्बे में थी शराब :

थाना खैरहा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सिरौंजा एव छिरहटी में अवैध शराब बिक्री करने पर पुलिस द्वारा रघू सिंह गोंड पिता रामरतन सिंह गोंड निवासी सिरौंजा थाना खैरहा, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 06 लीटर हाथ भी की बनी कच्ची महुआ शराब कुल कीमत करीब 600 रूपये, एवं संतोष जायसवाल पिता दिनेश जायसवाल निवासी ग्राम छिरहटी थाना खैरहा, के कब्जे से प्लास्टिक के डिब्बे में 05 लीटर हाथ भी की बनी कच्ची महुआ शराब कुल कीमत करीब 500 रूपये, मौके पर जप्त की गई।

### कई गांवों से जब्त की शराब :

थाना सोहागपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम कोटमा, कोनी, धुरवार एवं बलपुरवा में अवैध शराब बिक्री करने पर पुलिस द्वारा बनवारी लाल ढीमर पिता मोहन ढीमर उम्र 54 वर्ष निवासी कोटमा थाना सोहागपुर, के कब्जे से लाल रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में 06 लीटर हाथ भी की बनी कच्ची महुआ शराब कुल कीमत करीब 600 रूपये; शोभित परिहार पिता महेन्द्र सिंह परिहार उम्र 30 वर्ष निवासी पाण्डव नगर वार्ड नं0 05 थाना कोतवाली, के कब्जे से लाल रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में 20 पाव हाथ भी की बनी देशी प्लेन शराब कुल कीमत करीब 1,200 रूपये; रामनारायण साहू पिता स्व0 महेश प्रसाद साहू उम्र 30 वर्ष निवासी धुरवार कुदरा टोला, के कब्जे से लाल रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में 24 पाव हाथ भी की बनी देशी प्लेन शराब कुल कीमत करीब 1,200 रूपये; दुर्गेश वर्मन पिता रामसजीवन वर्मन उम्र 28 वर्ष निवासी घरौला मोहल्ला वार्ड नं0 06 कोतवाली, के कब्जे से लाल रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में 21 पाव हाथ भी की बनी देशी प्लेन शराब, 07 पाव गोवा अंग्रेजी शराब, 05 पाव आईबी अंग्रेजी शराब कुल कीमत करीब 3,930 रूपये एवं राजू उर्फ राममित्र यादव पिता शंकर यादव उम्र 32 वर्ष निवासी धुरवार, के कब्जे से लाल रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में 24 पाव हाथ भू की बनी देशी प्लेन शराब कुल कीमत करीब 1,200 रूपये, मौके पर जप्त की गई। पुलिस द्वारा शराब रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगने पर आरोपियों ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। जिस पर पुलिस ने पांचो आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(ए) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

Source :

<https://www.rajexpress.co/india/crime-express/shahdol-police-raid-at-many-places-and-seized-illegal-liquor-and-drugs>